सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 28, शुक्रवार, *शाके* 1947- सितम्बर 19, 2025 Bhadra 28, Friday, Saka 1947- September 19, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 18, 2025

जी.एस.आर.73 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 को और संशोधित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-जल सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची-I का संशोधन.- राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969 से संलग्न अनुसूची-I में, शीर्ष "राज्य सेवा-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान खण्ड" के अधीन विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात और विद्यमान क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियों से पूर्व, निम्नलिखित नये क्रम संख्यांक 6क, 6ख और उनकी प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"

6क	अधीक्षण भू-भौतिकीविद्	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से भू-भौतिकी में एम.एससी. या एम.टेक. (इलैक्ट्रानिक्स)। भू-भौतिकी कार्य	वरिष्ठ भू- भौतिकीविद्	स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्त व्यक्ति की अनुपब्लधता की दशा में, पद एक बारीय उपाय के रूप में सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकेंगे।

			में 8 वर्ष का अनुभव।			
6ख	अधीक्षण रसायनज्ञ	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	अकार्बनिक रसायन विज्ञान या विश्लेषात्मक रसायन विज्ञान में एम.एससी.। जल एवं सिलिकेट विश्लेषण का 8 वर्ष का अनुभव।	वरिष्ठ रसायनज्ञ	स्तम्भ संख्यांक 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्त व्यक्ति की अनुपब्लधता की दशा में, पद एक बारीय उपाय के रूप में सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकेंगे।

"

[सं.एफ.1(3)डीओपी/ए-2/86]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, September 18, 2025

G.S.R.73 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Ground Water Service (Second Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule-I.- In Schedule-I appended to the Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969, under heading STATE SERVICE - SURVEY & RESEARCH WING, after the existing serial number 6 and entries thereto and before the existing serial number 7 and entries thereto, the following new serial number 6A and 6B and entries thereto shall be inserted, namely:-
"

6A.	Superintending Geophysicist	100% Promotion	M.Sc. in Geophysics or M.Tech. (Electronics) from a University or	Senior Geophysicist	5 years' experience on the post mentioned in column	In the event of non-availability of eligible and suitable person for promotion, the post may be

			Institution established by law in India. 8 years' experience in Geophysical work.		number 5.	filled by direct recruitment as one time measure
6B.	Superintending Chemist	100% Promotion	M.Sc. in Inorganic Chemistry or Analytical Chemistry. 8 years' experience of water & silicate analysis.	Senior Chemist	5 years' experience on the post mentioned in Column No. 5.	In the event of non-availability of eligible and suitable person for promotion, the post may be filled by direct recruitment as one time measure

"

[No. F. 1(3)DOP/A-II/86]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.